सार-समाचार

तहसीलदार को ज्ञापन दिया

कानोड़, (निसं)। नगर सहित आसपास क्षेत्र के सर्व हिन्दू समाज द्वारा विजय नगर भीलवाड़ा में नाबालिग हिन्दू बच्चीयों के साथ हुई ब्लेकमेल व योग उत्पीड़न के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा । तय कार्यक्रम के अनुसार सायं चार बजे शिवगंज बाजार में सर्व समाज व विविध संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए वहा से पुरुष महिलाएं हाथ में पताका लिए ,दोषियों को फांसी देने की मांग करते हुए कार्ट चौराहा पहुंचे। कोर्ट चौराहा पर उपस्थित महिलाओं ने दोषियों को फांसी की मांग की । मुख्य वक्ता रामेश्वर जाट ने उपस्थित जन समूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज हमें अपनी बहिन बेटियों को सुरक्षा देनी है अब शास्त्र के साथ शस्त्र प्रशिक्षण भी आवश्यक है ,जाट ने कहा कि हमें भीलवाड़ा ही नहीं अपने क्षेत्र की भी चिन्ता करनी चाहिए। सर्व हिन्दू समाज के अध्यक्ष मनोज भाणावत ने ज्ञापन का वाचन किया ,ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ सख्त जांच व फांसी की मांग की गई, भाणावत ने कहा कि कानोड नगर में भी लव जेहाद व लेण्ड जेहाद के लोग सक्रिय है उन्हे चिह्नित कर कार्यवाही करनी चाहिए।

जेवरात चोरी, मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षैत्र में स्थित सूने मकान से चोर जेवरात चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित सुनिल भटनागर पुत्र विरेन्द्र प्रतापसिंह निवासी हम्बन लुधियाना पंजाब हॉल आरएचबी कॉलोनी गोवर्धन विलास ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया।जिसमें पीडित ने बताया कि4मार्च सवेरे अज्ञात चोर मकान का दरवाजा तोड़ कर चांदी के हार सेट, बिछियां, प्लेट हाथ घड़ी सहित अन्य जेवरात चुरा ले गए। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

चंदन का पेड़ चोरी

उदयपुर, (कासं)। न्यायालय परिसर में स्थित सरकारी क्वार्टर से अज्ञात चोर चंदन पेड चुरा ले गया। वहीं गोगुन्दा कस्बे में स्थित टावर से चोर बेटरियां चुरा ले गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 मार्च तडके गोगुन्दा कस्बे में स्थित न्यायालय परिसर में स्थित राजकीय क्वार्टर के पास लगा एक चंदन का पेड अज्ञात चोर काट कर चुरा ले गया। इसका पता चलने पर वहां तैनात होमगार्ड जवान किशनलाल पुत्र मन्नालाल निवासी सविना ने पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्ज करवाया। इसी तरह गोगुन्दा थाना पुलिस ने सावंतसिह पुत्र भंवरसिंह निवासी बंबोरा कुराबड़ हॉल सुरक्षा अधिकारी इण्डस टावर कंपनी ने अज्ञात चोर के खिलाफ 20 फरवरी को खाकडी गांव में लगे ट्रांसफार्मर से बैटरियां निकाल चुरा ले जाने का प्रकरण पुलिस थाने में दर्ज करवाया।

हमले में युवक घायल

उदयपुर, (कासं)। आपसी कहासूनी होने पर आरोपी ने चाकू से हमला कर युवक को घायल किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार रात में अम्बामाता थाना क्षैत्र गांधीनगर मल्लातलाई में आपसी बातचीत के दौरान कहासूनी होने पर कल्लेसात हॉल लालमगरी स्कूल के पिछे गांधीनगर निवासी मोईन पुत्र असलम पर फैजान खान पुत्र हमीद खां ने चाकू से हमला कर दिया। पेट में घाव लगने से गंभीर घायल होने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। रात के समय दोनों गांधीनगर क्षैत्र में मिले थे। जहां एक दूसरे को देखने की बात को लेकर विवाद होने पर फैजान चाकू से हमला कर फरार हो गया। इस मामले में फिरोज खां पुत्र असलम खां निवासी कल्लेसात हॉल लालमगरी गांधीनगर मल्लातलाई ने पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्ज करवाया। जिसकी जांच एएसआई मोहम्मद आसिफ कर रहे है।

युवती की गला दबा कर हत्या

उदयपुर, (कासं)। घर लेकर आए युवती की उसके प्रेमी की पत्नी ने गला दबा कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी व उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या कर मामला दर्ज किया। पुलिस से पाप्त जानकारी के अनुसार बैकरिया थाना क्षैत्र पाण्डीबोर गांव निवासी चुनाराम पत्रु होनाराम फलारिया बैगरिया ने पाण्डलीबोर निवासी देवाराम पुत्र हुरमाराम व उसकी पत्नी मीरकी के खिलाफ दुष्कर्म कर पुत्री दुर्गा की गला दबा कर हत्या करने का प्रकरण दर्ज करवाया। प्रकरण के अनुसार4 मार्च को आरोपी देवाराम चुनाराम की पुत्री दुर्गा को बहला फुसला कर अपने घर लेकर आया था। देवाराम दुर्गा को घर छोड़ कर दुकान पर चला गया था। उसकी पत्नी मीरकी घर पर थी। जिससे किसी बात को लेकर विवाद होने पर दोनों के बीच मारपीट हो गई । इस दौरान उसने गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। इधर सूचना मिलने पर बैकरिया थानाधिकारी उत्तमसिंह ने मौके पर पहुंच कर मृतका को एमबी चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाया। जहां 6 मार्च को मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने चुनाराम की रिपोर्ट पर आरोपी देवाराम व उसकी पत्नी मीरकी के खिलाफ दुष्कर्म कर पुत्री की हत्या करने का मामला दर्ज करवाया।

अवैध डोडा चूरा से भरी कार जब्त

उदयपुर, (कासं)। घासा थाना पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान अवैध डोडा चुरा से भरी कार जब्त की। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के सुपरविजन में प्रवीणसिंह राजपुरोहित के नेंतृत्व में गठित दल ने गश्त के दौरान मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर खेडाखुट माताजी मंदिर, खाम की मादड़ी में कार को रोक तलाशी ली। जिसमें रखे 13 कट्टों में 251.5 किलोठाम अवैध डोडा चुरा भरा था। इस पर कार मय डोडा चुरा जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

एमडीएमए सहित आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध एमडीएमए बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया।जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगन पुरोहित के सुपरविजन में डीएसटी टीम प्रभारी श्यामसिंह रत्न, प्रतापनगर थानाधिकारी राजेन्द्रसिंह के नेतृत्व में गठित दल ने मादक पदार्थ कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए हितेश पुत्र जितमल निवासी गुडेल थाना गींगला सलूम्बर हॉल झरनों की सराय देबारी प्रतापनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 26 ठाम अवेध मादक पदार्थ एमडीएमए जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

धोखे से नकदी हड़पी

उदयपुर, (कासं)। भूखण्ड बेचने का सौदा कर नकदी हडपने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित अब्दुल लतीफ पुत्र जहागीर खां निवासी युआईटी कॉलोनी सविना ने आरोपी इशाक मोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद निवासी नया खेड़ा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि अक्टूबर 2023 में आरोपी ने नया खेड़ा में एक भूखण्ड बेचने का सौदा 5लाख में तय किया। इस पर मैने उसे 1 लाख रूपये अठिाम देकर एग्रीमेंट किया। नियत समय पर रजिस्ट्री करवाने के लिए संपर्क करने पर टोल टोल करना शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

'सड़क हादसों में कमी लाना सभी की जिम्मेदारी, ईमानदारी से हों प्रयास'

उदयपुर, (कासं)। जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि सडक हादसों में हर साल कई घरों की खुशियां छीन जाती हैं। हादसों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। सडक दुर्घटनाओं को रोकने अथवा उसमें कमी लाने के लिए सभी को सामूहिक रूप से इमानदारी से प्रयास करना होगा।

मेहता गुरूवार को जिला परिषद सभागार में जिला सडक सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उदयपुर जिले में वर्ष 2024 में 1197 सड़क हादसों में 497 लोगों की मृत्यु हु । वहीं 2025 में अब तक 188 दुर्घटनाओं में 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हादसों में कमी लाने के लिए समझाइश और सख्ती का समन्वय रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने परिवहन विभाग और पुलिस अधिकारियों को ओवरलोडिंग, रोंग साइड ड्राइविंग सहित अन्य यातायात नियमों की अवहेलना भी सख्ती से कार्यवाही करने के साथ ही आमजन को जागरूक करने के लिए भी समेकित प्रयासों के लिए निर्देशित किया।

प्रारंभ में समिति के सदस्य सचिव तथा पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता शहर राजीव अग्रवाल ने गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़, युडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश सहित विभागीय अधिकारीगण तथा सदस्य उपस्थित रहे।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते जिला कलक्टर नमित मेहता तथा उपस्थित अधिकारीगण।

बैठक में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा बाइक चलाने की समस्या पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चे बाइक लेकर पहुंच रहे हैं। बच्चों और अभिभावकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। आवश्यकता होने पर चालान भी बनाए जाएं।

बैठक में हाइवे किनारे कंटेनर्स में चल रही शराब की दुकानों के बिन्दु पर भी चर्चा हु । इसमें जिला कलक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से ऐसे स्थलों को चिन्हित कर आबकारी विभाग को लिखे तथा आबकारी विभाग को उस पर अपनी टिप्पणी के साथ रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों को एक्जामिन कराकर आवश्यकतानुसार हटवाने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में वॉल सिटी में ग्रीन मोबिलिटी जोन घोषित करने के बिन्दु पर भी चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने एडीएम, एएसपी, युडीए, नगर निगम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उक्त कमेटी ग्रीन मोबिलिटी जोन के लिए संभावित स्थल, अपेक्षित पार्किंग व्यवस्था आदि का अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वालों के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रारंभ की मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवनरक्षक योजना पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। पात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें पुरस्कृत किया जाए, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों। हाईवे पर डाकन कोटड़ा टोल प्लाजा के समीप सड़क किनारे खड़े रहने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन एवं पुलिस विभाग निरंतर चालान बनाएं। हाइवे पर गलत साइड चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।जिले भर में हाइवे पर अवैध कट को चिन्हित कर बंद कराया जाए। नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर अपेक्षित सुधार कराया जाए।

प्रो. सारंगदेवोत क्षेत्रीय सलाहकार समिति के पुनः अध्यक्ष नियुक्त

उदयपुर, (कासं)। प्रो. शिव सिंह सारंगदेवोत के नेतृत्व को भारत सरकार ने और अधिक सशक्त कर पुनः दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की क्षेत्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) के कुलपति कर्नल प्रो. शिव सिंह सारंगदेवोत के नेतृत्व को भारत सरकार ने और अधिक सशक्त किया है। दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, महानिदेशालय, नई दिल्ली ने उन्हें क्षेत्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर आगामी दो वर्षों (19 दिसंबर 2024 से 18 दिसंबर 2026) तक के लिए पुनः नियुक्त किया है। इस निर्णय की आधिकारिक स्वीकृति भारत सरकार के श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के उपनिदेशक मुख्यालय प्रभारी जय श्री.टी. द्वारा प्रदान की गई।

इस अवसर पर कुलपति प्रो. सारंगदेवोत ने कहा कि श्रमिक वर्ग समाज की नींव हैं और उनके सशक्तीकरण, अधिकारों और कल्याण के लिए ठोस प्रयास करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए किए गए कार्यों की सराहना की, लेकिन यह भी

प्रो. सारंगदेवोत का अभिनंदन पारंपरिक उपरणा ओढाकर व पुष्पमाला पहनाकर किया गया।

रेखांकित किया कि अभी भी कुछ प्रावधान एवं योजनाओं के लाभ श्रमिकों तक पूरी तरह नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अगला लक्ष्य उन सभी लाभों को श्रमिकों तक पहुंचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना संकल्पित ध्येय रहेगा। ऽ

ो. सारंगदेवोत के इस कार्यकाल विस्तार की उपलब्धि पर विद्यापीठ परिवार में हर्ष का माहौल रहा। विद्यापीठ के कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, कुलसचिव डॉ. तरुण श्रीमाली, पीठ स्थविर डॉ. कौशल नागदा, परीक्षा नियंत्रक डॉ. पारस जैन सहित समस्त डीन, निदेशकगण, प्राध्यापक एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर प्रो. सारंगदेवोत का अभिनंदन पारंपरिक उपरणा ओढाकर व पुष्पमाला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर प्रो. सरोज गर्ग, प्रो. अमिया गोस्वामी, प्रो. शैलेंद्र मेहता, डॉ. चंद्रेश छतलानी, सुभाष बोहरा, भगवतीलाल श्रीमाली, डॉ. आशीष नंदवाना, उमराव सिंह, डॉ. संजीव राज पुरोहित, जितेंद्र सिंह चौहान, डॉ. कुलशेखर व्यास, विजयलक्ष्मी सोनी, डॉ. मनीषा मेहता, त्रिभुवन सिंह, शैतान सिंह, लक्ष्मण सिंह, डॉ. दिनेश श्रीमाली, डॉ. यज्ञ आमेटा, विकास डांगी, लहरनाथ, कालू सिंह, सांवरिया धाकड सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शुभकामना देकर स्वागत अभिनंदन किया।

घर-घर जाकर पशुओं का किया पंजीयन

राजसमन्द, ०(निसं)। जिले में गांव बामन टुकडा के सामाजिक कार्यकर्ता मनीष दवे ने राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई मंगला पशु बीमा योजना की जानकारी घर-घर जाकर पशुपालकों को देकर इस योजना में कई पशुओं का पंजियन एवं बीमा करवा कर समाजसेवा का कार्य किया। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष दवे ने बताया कि सरकार कि यह योजना पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें जागरूक करने के लिए जनवरी माह से शुरू होकर 10 फरवरी तक चली। इस योजना का मकसद पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा देना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से पशुपालकों को अपने पशु का बीमा इस योजना का अधिकाधिक लाभ लेवें और कहा कि पहले किसी पशुपालक के पशुओं को जंगली जानवर जैसे चिता शेर या जंगली जानवरो के द्वारा मार दिया जाता है, तो इस योजना के तहत पशुपालकों को वन विभाग के द्वारा कई पशुपालकों को मुआवजा दिलाया गया। जिसका रिकॉर्ड वन विभाग के पास उपलब्ध है। और अब तक कम से कम 1० पशु पालकों को मुआवजा दिलाया गया है। इसके अलावा जो पशुपालक मुआवजा से वंचित रह गए उनको वन विभाग के पास राज्य सरकार से बजट आते ही मुआवजा दिलाया जाएगा।

हमले के मामले में दो गिरफ्तार

बांसवाड़ा, (निसं)। कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के पिपलोद क्षेत्र में षड्यंत्रपूर्वक अपहरण कर जानलेवा हमला करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

कोतवाली थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने बताया कि गत 18 फरवरी को प्रार्थी हरीश पुत्र रकमा राणा निवासी पिपलोद ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता रकमा राणा की लिंक रोड हाऊसिंग बोर्ड पर किराणे की दुकान है। उनका गबु मईडा निवासी पिपलोद व उसके साथियों ने अपहरण कर मारपीट की। ईलाज के दौरान रकमा की मृत्यु हो गयी। कोतवाली थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया एवं अनुसंधान थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने करते हुए विभिन्न टीमों का गठन किया। रकमा की हत्या के मुख्य आरोपी गबु उर्फ गेबीलाल पुत्र वेस्ता मईडा निवासी पीपलवा की प्रमि लाली व दिलीप पुत्र तोलिया मईडा निवासी पीपलवा की तलाश कर गिरफ्तार किया

पुलिस की गिरफ्त में अपहरण कर जानलेवा हमला करने के आरोपी।

गया। थानाधिकारी मीणा ने बताया कि 14 फरवरी को गबु उर्फ गेबीलाल अपनी प्रेमिका लाली से मिलने के लिये रकमा के घर गया था जहां गबु की रकमा व उसके पुत्र शांति साथ झडप हुई। इसी रंजिश के चलते हुए गबु ने अपनी प्रेमिका व अन्य साथियों के साथ मिलकर रकमा का अपहरण कर हत्या का षड्यंत्र रचा। इन लोगों ने रकमा का उसकी दुकान से अपहरण कर बारी सागतलाई-पिपलोद नदी की झाडियों में लट्ठ, लातों व मुक्को से मारपीट कर उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया। ईलाज के दौरान रकमा ने दम तोड दिया था। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. राजेश भारद्वाज के निर्देशन में वृत्ताधिकारी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने आरोपियों की तलाश के लिये टीमों का गठन किया।

भटके हुए युवाओं को सद्मार्ग दिखाएं शिक्षक : डॉ. यादव

डूंगरपुर, (निसं)। पूर्व राज्यमंत्री डॉ. शंकर यादव ने कहां कि वर्तमान की कुछ युवा पीढी गलत मार्ग की और भटक गई है, इसे सही मार्ग पर लाने का कार्य केवल शिक्षक ही कर सकता है।

पूर्व राज्यमंत्री यादव गुरुवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के डूंगरपुर ब्लॉक अधीन पीईईओं बटका फला के राउप्रावि बोलादरा में आयोजित राजकीय व निजी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की सत्रांत वाकपीठ संगोष्ठी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि पद से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिक्षकों से समय समय पर आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए अपने लक्ष्यों व जिम्मेदारियों को पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि हम जब तक धर्म, जाति, भाषा व मजहब में बंटे रहेंगे तब तक भारत के विश्वगुरु बनने की संकल्पना पूरी नहीं हो सकती। हमें इससे परे हटकर सर्वप्रथम भारतीय बनना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डूंगरपुर प्रधान कांता देवी कोटेड ने की। इस दौरान पूर्व सरपंच केवलराम कोटेडए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण साद, नगर कांग्रेस अध्यक्ष निलेश पटेल, जिला परिषद सदस्य गुलशन मनात, पंचायत समिति सदस्य रमेशचंद्र कोटेड, एसएमसी अध्यक्ष रामलाल कोटेड ककुआ भाई, कार्यवाहक सीबीईओ विमल साद, संदर्भ व्यक्ति रितेश जोशीए पीईईओ प्रतिनिधि शांतिलाल कोटेड, वाकपीठ अध्यक्ष नटवरलाल वर्मा, रमेशचंद्र मीणा, उमेश पंड्या, नरेंद्र कुमार जैन, रोहित गर्ग सहित अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन थे। प्रारंभ में मेजबान विद्यालय के संस्था प्रधान दीपक कुमार अहारी ने स्वागत भाषण दिया। विद्यालय की बालिकाओं ने आकर्षक स्वागत गीत व नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान विद्यालय के कार्मिकों व वाकपीठ में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों का माल्यार्पण, शॉल व पगडी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयुक्त रूप से संचालन हेमंत कुमार खराडी व कमलेश जोशी ने किया।

नकदी सहित कार चोरी करने वाला चालक गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। सुखेर थाना पुलिस ने ठाहक की नकदी एवं कंपनी की कार चोरी करने वाले चालक को गिरफ्तार कर कार व नकदी बरामद की। प्रकरण के अनुसार 27 फरवरी को अंकित भार्गव पुत्र गोपाल कृष्ण सेक्टर 11 ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। जिसमें उसने बताया कि मैं इवेंट का काम करता हूं। 26 फरवरी को आईटीसी होटल में इवेंट का काम होने से मयंक करणपुरिया के जरिये कार बुक करवाई थी। इस पर चालक किशन कार लेकर आया। जहां मेरा लेपटॉप, सामान व 6लाख रूपये नकदी लेकर होटल आईटीसी पहुेचा। जहां कार खड़ी काम करने गया। भुगतान करने के लिए नकदी लेने कार पर आया तो कार में नकदी नहीं थी। इसको लेकर चालक से पूछताछ कर मालिक को घटना की जानकारी दी। इससे नाराज होकर चालक कार लेकर फरार हो गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चन्द्र के सुपरविजन में सुखेर थानाधिकारी रविन्द्रसिंह के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी एएसआई हरिशचन्द्र सनाढ्य मय टीम ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर चालक जयकिशन पुत्र लक्ष्मणसिंह निवासी गांगरसोली थाना कुम्हेर जिला डीग को पूछताद के बाद गिरफ्तार किया।

आम सूचना

हर आम खास को सूचित किया जाता है कि मेरे व्यवहारी शंभु शर्मा पिता मदनलाल जी शर्मा, निवासी-रसाला चौक के सामने, नाथद्वारा का पुत्र भावेश शर्मा जो मेरे व्यवहारी के कहने में व अनुशासन में नहीं होकर मेरे व्यवहारी की बिना जानकारी में कही बाहर निवास कर रहा है। उस पर मेरे व्यवहारी का नियत्रंण भी नहीं है, जिस कारण मेरा व्यवहारी अपने पुत्र को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल (वंचित) करता है तथा हर आम व्यक्ति, संस्था बैंक को सूचित करता है कि मेरे व्यवहारी के पुत्र से किसी प्रकार का कोई लेन देन व संव्यवहार नहीं करें। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

मेरा व्यवहारी उसके पुत्र के द्वारा किये गये लेन देन व संव्यवहार के लिये उत्तरदायी नही होगा। सो सूचित रहे।

स्थान : नाथद्वारा
दिनांक: 03.03.2025

कमलेश अजमेरा , एडवोकेट
ऑफीस-कुम्हारवाडा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद
मो. नं. 9829951971

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY
UDAIPUR-313039, Ph.No. (+912942471900)
Estate Office E-Tender Notice-13
No. EO/MLSU/E-Tender/2024-25/590 Dated-02/03/2025
NIB CODE: SUU2425A0129 UBN No: SUU2425WSOB00171 to 00174
Bid for **Miscellaneous work at, M.L.S University, Udaipur** are invited from interested bidders upto at **5:00 P.M.** on **15/03/2025**. Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal. (http://www.sppp.raj.nic.in) of the state and www.mlsu.ac.in departmental website. Executive Engineer

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)
क्रमांक : F7 (12) PLAN / LANDUSE / 2024-25/412 दिनांकः 6/ 3 / 2025
आम - सूचना
सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य सिविल रिट संख्या 1554 / 2004 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय के क्रम मे सरकार के विभागीय आदेश दिनांक 20-07-2017 के अनुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर वृहद / व्यापक जनहित के दृष्टिगत मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन अनुसये किये जाने के संबंध में प्रदत्त आदेशों / परिपत्रों की अनुपालना मे निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1.	श्री राजेश जैन पिता श्री सुरेश कुमार जैन	मनवाखेडा	1417 से 1425, 1427 से 1429	80 (पुराना -6)	2400.00 वर्गफीट	हिरण मगरी सेक्टर नम्बर-4 में बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने स्थित 100 फीट सड़क पर श्रीनाथ हार्डवेयर के समीप स्थित है	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त आम सूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार-पत्र के उदयपुर संस्करण मे पठनीय प्रकाशन करवाया जावें। उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है । इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।
सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)
क्रमांक : F7 (12) PLAN / LANDUSE / 2024-25/411 दिनांकः 6/ 3 / 2025
आम - सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य सिविल रिट संख्या 1554 / 2004 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय के क्रम मे सरकार के विभागीय आदेश दिनांक 20-07-2017 के अनुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर वृहद / व्यापक जनहित के दृष्टिगत मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन अनुसये किये जाने के संबंध में प्रदत्त आदेशों / परिपत्रों की अनुपालना में निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1.	मैसर्स वी. के. इंजिनियर्स जरिये पार्टनर श्री विनयकान्त अग्रवाल पिता श्री रणजीत लाल अग्रवाल	सुरपलाया	551 से 554	-	1.1900 हैक्टयर (उद्योग प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित)	आओ जी खाओ जी रेस्टोरेन्ट के समीप से लई गांव को जाने वाली प्रस्तावित 80 फीट सड़क पर मैसर्स वी. के. इंजिनियर्स उद्योग की भूमि।	उद्योग प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि के होटल (पर्यटन ईकाई) प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।
सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)
क्रमांक : F7 (12) PLAN / LANDUSE / 2024-25/397 दिनांकः 6/ 3 / 2025
आम - सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य सिविल रिट संख्या 1554 / 2004 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय के क्रम मे सरकार के विभागीय आदेश दिनांक 20-07-2017 के अनुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर वृहद / व्यापक जनहित के दृष्टिगत मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन अनुसये किये जाने के संबंध में प्रदत्त आदेशों / परिपत्रों की अनुपालना में निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1.	श्री रूचिर शर्मा पिता श्री हरिशचन्द्र शर्मा	बेडवास	1601 मीन, 1606 मीन, 1607 से 1617, 1619 से 1628, 3476/, 1600 3481/ 1601, 3482/ 1606	संयुक्तिकृत भूखण्ड 04 +05	6356.50 वर्गफीट	अलख नयन हॉस्पिटल को जाने वाली प्रस्तावित 80 फीट सड़क पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम पम्प के समीप स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त आम सूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार-पत्र के उदयपुर संस्करण मे पठनीय प्रकाशन करवाया जावें । उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कलालवाटी, राजनगर, जिला-राजसमन्द-313324
Website: www.environment.rajasthan.gov.in Email:rorpcb.rajsamand@gmail.com
क्रमांकः राप्रनिमं/राजसमन्द/जनसुनवाई/1997 दिनांकः 05.03.2025
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई के लिये आम सूचना
1. सर्वसाधारण को सूचित किया